ममता रानी बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल)

(न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल के सम्मुख)

ममता रानी - याचिकाकर्ता
बनाम।
हरियाणा राज्य – प्रतिवादी
2022 का सीआरएम-एम-28211
8 जुलाई, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 - भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 338 406 व 420 - भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 15 - द्वितीय अग्रिम जमानत - शिकायतकर्ता के पिता जी अपने बाएं पैर के अंगूठे और तीन उंगलियां में अवसाद से पीड़ित थे जो मधुमेह व हृदय रोगी थे - आरोपी के पास एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की योग्यता थी और आरोपी द्वारा जिस बीमारी के लिए उपचार दिया गया, वह उसके ज्ञान और योग्यता से परे था, जिसके लिए वह अधिकृत भी नहीं थी जिसके कारण लापरवाही हुई - दूसरी अग्रिम जमानत का कोई अनुदान नहीं।

माना गया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता - अभियुक्त द्वारा एक ऐसी बीमारी के लिए उपचार दिया गया है जो उसकी जानकारी और योग्यता से परे थी, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थी और इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई उसकी कोई भी शैक्षिक योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी भी राज्य चिकित्सा बोर्ड जैसे सक्षम अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी ताकि अवसाद की बीमारी के लिए वैकल्पिक चिकित्सा में आगे कार्य कर सके। यह अभिलेख से स्पष्ट है और याचिकाकर्ता-अभियुक्त के वकील द्वारा भी विवादित नहीं है कि यह बीमारी शुरू में केवल बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों में थी।

(पैरा 9)

यह भी माना गया कि यह न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त यहां तक की एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली जिसमें उसे योग्यता प्राप्त थी उसके अनुसार भी उचित स्तर की देखभाल और कुशलता के साथ कार्य करने का कर्तव्य भी उसका था, जिसमें इस तरह के कर्तव्य के भंग होने का मौका नहीं देने का एक निहित वचन है, जो लापरवाही का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के पिता को भारी नुकसान हुआ जिसकी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इस तरह की हानि न केवल एक व्यक्ति को उसके जीवन के नियमित दिनचर्या अक्षम कर देगी बल्कि बड़े पैमाने पर समाज में दैनिक दिनचर्या में भी शर्मिंदगी के अलावा लगातार मानसिक करूरता और उत्पीड़न का कारण बनने के लिए उसके मन में चुभती रहेगी।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता का अधिवक्ता अश्वनी तलवार।
तनीषा पेशावरिया, डी ए जी हरियाणा।
शिकायतकर्ता का अधिवक्ता यशवीर खरब।

न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल। (मौखिक)

(1) यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत, मुकदमा नंबर 237 दिनांक 28 मई 2022, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 338, 406, 420 और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 15, जो पुलिस थाना माडल टाउन पानीपत में दर्ज है, में अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई है जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश पानीपत ने दिनांक 01.06.2022 के आदेश के तहत प्रार्थना अस्वीकार कर दी है। (नत्थी P13)

(2) अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी, जैसा कि प्राथमिकी के अवलोकन से पता चल सकता है कि शिकायतकर्ता के पिता बाएं पैर के अंगूठे और तीन उंगलियां में अवसाद से पीड़ित थे जो मधुमेह और हृदय रोगी भी थे। दिनांक 27.01.2022 को जब वह शिकायतकर्ता की बहन के घर पानीपत गए हुए थे, दिनांक 28.01.2022 को याचिकाकर्ता का एक क्लीनिक बाजार में उसके नोटिस में आया। याचिकाकर्ता - अभियुक्त से सलाह मांगी गई जिसने उसने अपने क्लीनिक के बाहर बोर्ड पर डॉक्टर ममता कपूर के रूप में उल्लेख किया हुआ था। याचिकाकर्ता - अभियुक्त ने बीमारियों को ठीक करने का पूरा आश्वासन दिया, और शिकायतकर्ता के पिता को उसके क्लीनिक में भर्ती करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता के पिताजी का इलाज दिनांक 28.01.2022 से दिनांक 06.02.2022 तक किया गया था जिस तारीख को उसे छुट्टी दी गई थी। क्लीनिक से छुट्टी के समय आरोपी ने बार-बार मांगने के बावजूद भी कोई दस्तावेज नहीं दिया, परंतु बाद में उपचार और छुट्टी का पूरा सारांश देने का वादा किया। इसके बाद भी याचिकाकर्ता - अभियुक्त पानीपत के विराटनगर में दिनांक 13.02.2022 तक शिकायतकर्ता की बहन के घर पर आता-जाता रहा। और पूर्ण इलाज के लिए ₹100000/- की राशि ले ली। इसके बाद शिकायतकर्ता अपने पिताजी के साथ अपने घर अमृतसर चला गया। शिकायतकर्ता के पिताजी के बाएं पैर में दर्द हुआ तो उन्होंने गुप्ता अस्पताल, सिद्धार्थ नर्सिंग होम अमृतसर में उसकी जांच कराई, उस स्तर पर यह पता चला कि अवसाद ने उसकी पूरी बाएं टांग संक्रमित कर दी है, जिसे काटना पड़ेगा अन्यथा उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह के गंभीर संक्रमण का कारण याचिकाकर्ता - आरोपी द्वारा दिया गया गलत और लापरवाहीपूर्ण चिकित्सा उपचार था। इस समय शिकायतकर्ता द्वारा छानबीन की गई, उसने पाया कि दूसरे काफी व्यक्ति भी याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा जोखिम में डाले गए हैं। रहलान नामक व्यक्ति अभी मरा है और दूसरी रोगी श्रीमती दर्शन रानी बहुत गंभीर हालत में है। याचिकाकर्ता- दोषी पहले से ही इस संबंध में शिकायतों का सामना कर रही है जो बिना किसी लाइसेंस के डॉक्टर के रूप में काम कर रही है और निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खेलने की अनुमति दी जा रही है।

(3) प्रार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अश्वनी तलवार में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त के पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक्यूप्रेशर उपचार प्रदान करने की योग्यता है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान विस्तृत प्रमाण अंक पत्र (नत्थी P2) की ओर खींचा जो काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन (पंजाब) द्वारा जारी है, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट ऑफ एम डी एक्यूप्रेशर (नत्थी P6) जो एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान द्वारा जारी है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने पंजाब सरकार के एस आर अधिनियम एवं भारत सरकार के टी एम एक्ट 1999 के तहत पंजीकृत एक संस्थान से पत्राचार द्वारा कंप्लीमेंट्री मेडिसिन (मेडिसिन अल्टरनेटिव) (नत्थी P7) पास किया है। इसके

साथ पैरामेडिकल काउंसिल (पंजाब) द्वारा 28.07.2011 के तहत एक डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स (सीसी) पास किया है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता पैरामेडिकल काउंसिल (पंजाब) मोहाली में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2013 (नत्थी P9) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत है जिसका नवीनीकरण 25.01.2021 को हुआ है। इसके अलावा प्रमाण पत्र दिनांक 07.04.2019। (नत्थी P11) के तहत एक्यूपंक्चर में डिप्लोमा भी किया हुआ है।

(5) इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता-आरोपी ममता कपूर के नाम से पहले ही डॉक्टर के रूप में एक क्लीनिक चला रही है और उसी के समान एक और क्लिनिक एक मंजिला आवास, जो तीन कमरों का सेट है, जिसमें अल्प समय के लिए वैकल्पिक मेडिकल थैरेपिस्ट का कार्य करती है, क्लीनिक में भर्ती करने का कोई बंदोबस्त नहीं है और ना ही इस प्रकार की सुविधा शिकायतकर्ता के पिताजी को प्रदान की गई है। विचाराधीन प्राथमिकी पूरी तरह से झूठी है और सच्चाई से बहुत दूर है।

(6) दूसरी तरफ से अग्रिम नोटिस प्राप्त होने पर श्रीमती तनीषा पेसावरिया DAG हरियाणा पेश हुई और वर्तमान याचना में प्रार्थना का जोरदार तरीके से यह कहकर खंडन किया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त के पास बीईएमएस की डिग्री थी और वह मरीज का जो अवसाद जैसी बीमारी से ग्रसित थे, उनका इलाज करने में अयोग्य थी। यहां तक कि शिकायतकर्ता के पिताजी ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त को पहले से ही अपनी बीमारी मधुमेह व हृदय रोगों के बारे में जागरूक कर रखा था फिर भी उसने इस बीमारी को ठीक करने का झूठा आश्वासन दिया। इसके परिणाम स्वरुप चिकित्सा लापरवाही हुई और शिकायतकर्ता के पिताजी ने अपने बाईं टांग गवा दी जो घुटने के नीचे से काटा गया। यहां तक कि डॉक्टर श्यामलाल, सीएमओ, सिविल हॉस्पिटल, पानीपत, डॉक्टर प्रदीप, मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल, पानीपत, डॉक्टर रविंदर गर्ग, आई एम ए प्रतिनिधि, पानीपत, डॉ विश्वजीत सिंह, एन आई एम ए प्रतिनिधि, पानीपत और सिविल सर्जन पानीपत का एक चिकित्सा बोर्ड बनाकर उनसे जांच करवाई गई जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसाय नहीं थी और पहले से ही विद्यमान अवसाद की बीमारी का उपचार उसके कौशल और चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान से परे था। समिति ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि यह मामला याचिकाकर्ता-अभियुक्त की लापरवाही का है जिसके कारण शिकायतकर्ता के पिताजी का बाया पैर काट दिया गया था।

(7) राज्य के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 338 406 और 420 तथा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत प्रथम दृष्टि में ही अपराध पाए गए हैं और आज तक याचिकाकर्ता-अभियुक्त का पता भी नहीं चल पाया है और जब तक याचिकाकर्ता-अभियुक्त को पूछताछ के लिए हिरासत में नहीं लिया जाता तब तक प्राथमिकी में जांच नहीं की जा सकती।

(8) पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका अग्रिम जमानत के लिए एक दूसरा आवेदन है जो विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है कि सीआरएम-एम- 26032 वर्ष 2022 वाले पहले के आवेदन को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा 08.06.2022 पर कुछ समय तक बहस करने के बाद

वापस ले लिया गया था अर्थात केवल एक महीना पहले। माना जाता है कि इस स्तर पर वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(9) माना गया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता - अभियुक्त द्वारा एक ऐसी बीमारी के लिए उपचार दिया गया है जो उसकी जानकारी और योग्यता से परे थी, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थी और इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई उसकी कोई भी शैक्षिक योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी भी राज्य चिकित्सा बोर्ड जैसे सक्षम अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी ताकि अवसाद की बीमारी के लिए वैकल्पिक चिकित्सा में आगे कार्य कर सके। यह अभिलेख से स्पष्ट है और याचिकाकर्ता-अभियुक्त के वकील द्वारा भी विवादित नहीं है कि यह बीमारी शुरू में केवल बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों में थी।

(10) यह भी माना गया कि यह न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त यहां तक कि एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली जिसमें उसे योग्यता प्राप्त थी उसके अनुसार भी उचित स्तर की देखभाल और कुशलता के साथ कार्य करने का कर्तव्य भी उसका था, जिसमें इस तरह के कर्तव्य के भंग होने का मौका नहीं देने का एक निहित वचन है, जो लापरवाही का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के पिता को भारी नुकसान हुआ जिसकी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इस तरह की हानि न केवल एक व्यक्ति को उसके जीवन के नियमित दिनचर्या अक्षम कर देगी बल्कि बड़े पैमाने पर समाज में दैनिक दिनचर्या में भी शर्मिंदगी के अलावा लगातार मानसिक क्रूरता और उत्पीड़न का कारण बनने के लिए उसके मन में चुभती रहेगी।

(11) उपरोक्त चर्चाओं और अभिलेखों के तथ्यों पर ध्यान करते हुए यह न्यायालय वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है और पूरी तरह से आश्वस्त है कि मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

(12) अतः वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है।

ऋतंबर ऋषि

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)
रोशन लाल